जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
09/2016

मुन्तकिली प्रकरण सं0 09/2016 अनवानी 1–वीना कुमारी पत्नि स्व0 श्री इन्द्रपकाश जाति अरोडा नि0 भूप कोलोनी, एस.एस.बी. मेन रोड़, श्रीगंगानगर 2–अमित तनेजा बनाम 1–तोतीबाई पत्नि श्री मदनलाल पुत्री स्व0 श्री केसरदास जाति अरोड़ा नि0 505 अग्रसेननगर, श्रीगंगानगर 2–मीना कुमारी 3–रानी देवी 4–कुसुम 5–तहसीलदार रायसिंहनगर 6–जितेन्द्र तनेजा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.02.2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री दिनेश छाबड़ा उपस्थित है। अप्रार्थी जितेन्द्र कुमार के अभिभाषक श्री जसवीरसिंह मिशन व अप्रार्थी कुसुम, रानीदेवी, तोतीबाई, मीनाकुमारी के अभिभाषक श्री कृष्णलाल उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषकगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) रायिंहनगर में लम्बित ईन्तकाल प्रकरण संख्या 145/2015 अनवानी वीनाकुमारी वगैरा बनाम तोतीबाई वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तहसीलदार, रायसिंहनगर सेवानिवृत हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) रायिंहनगर में लम्बित ईन्तकाल प्रकरण संख्या 145/2015 अनवानी वीनाकुमारी वगैरा बनाम तोतीबाई वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तहसीलदार, रायसिंहनगर दिनांक 01.01.2017 को सेवानिवृत हो गये है। इसलिए अब यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

423
21/02/2017

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना
(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर